Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 292 /2021

Dhanpat Rai.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.03.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–04/2021–22 में दिनांक–08.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सिंहरौल, थाना नं–141, अंचल–कदवा, खाता सं0–453, खेसरा सं0–2043 एवं 1598 क्रमशः रकवा 0.57 डी0 तथा 0.98 डी0, कुल रकवा–1.46 एकड़ प्रश्नगत भूमि है। प्रश्नगत भूमि दिनांक–20.12.1997 को बिहार भूदान यज्ञ द्वारा आवंटित है। जिसका भू लगान भुगतान किया जा रहा है। उत्तरवादियों द्वारा परेशान किये जाने के विरूद्ध निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा मामले पर बिना सम्यक विचार किये आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी को बल पूर्वक बेदखल कर दिया गया है। लोकहित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उत्तरवादियों का प्रश्नगत भूमि पर वैध अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इनके ओर से समर्पित दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये मनमाने ढंग से आदेश पारित कर दिया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी सं0–02 से 07 तक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत अपील पक्षकार दोषग्रसित है। भूदान यज्ञ समिति द्वारा दी गई भूमि में राज्य एक आवश्यक पक्षकार है, जिसे	

Web Copy. Not Official.

		जान बुझकर नहीं बनाया गया है। उत्तरवादी सं0–03 और 04 को	
		क्रमशः	
	लगातार 20.03.2023t	प्रश्नगत भूमि से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। वर्ष 1994 में अपीलार्थी एवं 33 अन्य व्यक्तियों को भूदान यज्ञ समिति द्वारा 29.74 एकड़ भूमि बंदोबस्त की गई थी, जिसमें प्रश्नगत भूमि भी सम्मिलित है। उक्त भूमि मो0 फैयाक एवं ग्यासउद्दीन अहमद की थी, जिसके विरूद्ध उन्होने अवर न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में **T.S.** सं0–12/1998 दायर करते हुए धनपत राय सहित भूदान यज्ञ समिति को भी पक्षकार बनाया था। माननीय अवर न्यायालय, कटिहार द्वारा दिनांक–17.09.2003 को उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए दिनांक–27.09.2003 को डिग्री पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल द्वितीय अपील सं0–218/2007 भी दिनांक–12.12.2014 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित भूदान प्रमाण पत्र वैध नहीं रहा। अपीलार्थी द्वारा अपर समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष जमाबंदी रद्दीकरण सं0–106/2021 दायर किया गया है, जो लंबित है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि संबंधित मामले में माननीय अवर न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दायर **T.S.** सं0–12/1998 में दिनांक–17.09.2003 को पारित आदेश तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दायर प्रथम अपील वाद सं0–11/2003 में दिनांक–17.07.2007 को पारित आदेश उत्तरवादी के पक्ष में है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी के साथ अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.